

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

जयपुर, दिनांक:- १०.१०.२०२०

क्रमांक प.१(८) वित्त/राजस्व/१९

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा नियम, १९५४ के नियम ३१ के अन्तर्गत गठित पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर उक्त सेवा के कनिष्ठ सेवा संवर्ग में स्थाई रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि/पद उपलब्धता की तिथि पर वर्ष २०१९-२० की रिक्तियों के विरुद्ध उक्त नियमों के नियम २८ ए के उप नियम (७) के तहत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के वरिष्ठ सेवा संवर्ग में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम/सर्व श्री	वर्ग	रिक्ति की तिथि
१.	श्री लक्ष्मणराम मेघवाल	(अजा)	०१.०४.२०१९
२.	श्री सुरेश चन्द मीणा	(अजजा)	०१.०४.२०१९
३.	श्री मुकेश कुमार वर्मा	(अजा)	०१.०४.२०१९

पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पदों को यथाआवश्यकता अस्थाई तौर पर क्रमोन्नत/क्रमावत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।

पदोन्नत अधिकारियों के पदोन्नति आदेश उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रभावी होंगे तथा वे उक्त तिथि को कार्यग्रहण कर सूचना इस विभाग को प्रेषित करेंगे।

पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(नीलेश शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

१. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
२. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
३. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
४. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त/शासन सचिव, वित्त।
५. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-४/।।) विभाग।
६. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान, जयपुर।
७. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
८. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
९. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
१०. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
११. संबंधित विभागाध्यक्ष।
१२. संबंधित अधिकारी।
१३. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव